डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. 2
डब्ल्यू. पी./505/2000.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 464] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2000—श्रावण 6, शक 1922

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2000

क्र. एफ. 16-29-1990-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की भरती तथा सेवा की शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2000 है.

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशित किये जाने की तारीख से लागू होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार,

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है नियम-11 के अधीन सेवा के लिये संचालित की गयी भरती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा,

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार,

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल,

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा कोई जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है,

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा कोई जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में "अनुसूचित जनजातियों" के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है,

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग,

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली (राजपत्रित) सेवा,

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य.

3. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.—(1) सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात्—

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलत:/स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों,

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भरती किये गये हों, और

(ग) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हो.

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी ऐसे व्यक्तियों का, जो अपेक्षित अर्हता तथा अनुभव रखते हों, और जो राज्य सरकार या उपक्रम से आयुक्त कार्यालय में स्थानांतरण पर या प्रतिनियुक्ति पर पहले से ही कार्य कर रहे हों और जो संविलियन के लिये उपयुक्त समझे गये हों, संविलियन किया जा सकेगा परन्तु शर्त यह है कि उन्होंने उनके विकल्प का प्रयोग कर लिया हो और उनके मूल विभाग/उपक्रम को आयुक्त कार्यालय में ऐसे संविलियन पर कोई आपत्ति नहीं हो.

5. वर्गीकरण वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित किये गये पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर समय-समय पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्—

(क) सीधी भरती द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार या दोनों तरीकों द्वारा,

(ख) अनुसूची-चार में दर्शाये गये अनुसार पदोन्नति द्वारा.

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में, ऐसे पद, जैसे कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायें, मूलतः या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों,

(घ) खण्ड (ग) में दर्शाए गए अनुसार व्यक्तियों के संविलियन द्वारा.

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये सेवा में किसी रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भरती की किसी विशेष कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाये जाने वाले भरती के तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा अपेक्षित हो तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भरती के लिये उन तरीकों से भिन्न ऐसा तरीका अपना सकेगी, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, सरकार द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम-6 में विहित भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के बाद ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. सीधी भरती के लिये पात्रता की शर्तें.—चयन परीक्षा के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्,—

(1) आयु.—(क) उसने चयन/परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची तीन के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम् 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यार्थियों के संबंध में भी, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी सरकारी सेवक हो, तथा किसी दूसरे पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये. यह रियायत आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से, उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाइयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास तक की कालावधि तक निरन्तर रहा था तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

... लिए अनुज्ञात किया जाएगा, ... द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर ... तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है कि ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग ... और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा था तथा जिस... किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन ... की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामा... रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी या जो अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया था—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्शेसन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया है,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और अल्प कालीन वचनबंद पूर्ण होने पर नामांकन की शर्तें पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं.) जो उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये है.

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सोवोन्मुक्त किया गया हो,

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया है,

(घ) सीधी भरती में, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्ध) नियम-1977 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यार्थियों के लिये आयु शिथिलनीय होगी.

(ङ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यार्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यार्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) आदिमजाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के लिये उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/बोर्ड के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना (होमगार्ड) के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुये शिथिल की जायेगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.

टिप्पण.—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिये पात्र पाये गये हों, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पहले या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देतें हैं तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे.

टिप्पण.—(2) किसी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी. विभागीय अभ्यार्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिये उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) शैक्षणिक अर्हताएं.—अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शाई गई सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये.

(3) फीस.—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का संदाय करना होगा.

9. निरर्हता.—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार या चयन के लिये निरर्हता माना जा सकेगा.

10. अभ्यार्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चिय.—परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चिय अंतिम होगा तथा किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

11. चयन द्वारा सीधी भरती.—(1) सेवा में भरती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा जैसा कि सरकार समय-समय पर, आयोग के परामर्श से अवधारित करे.

(2) आयोग द्वारा ऐसे आदेशों के अनुसार परीक्षा संचालित की जाएगी जो कि राज्य सरकार, समय-समय पर, आयोग के परामर्श से जारी करें.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भरती के प्रक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम-1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जायेगा जिसमें उनके नाम नियम-12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार विकलांग अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(8) ऐसे मामलों में जहां सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि यह संभावना है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों वहां आयोग या सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) आयोग उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि आयोग अवधारित करे और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किए गए हैं, सरकार को अग्रेषित करेगा. सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में अभ्यर्थियों का नाम सम्मिलित किए जाने से उन्हें नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि आवश्यक समझी जाए यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हैं.

(4) चयन सूची, आयोग द्वारा जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधि मान्य रहेगी.

13. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति:**—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची-चार में वर्णित सदस्य होंगे किन्तु संवीक्षा/पदोन्नति समिति में पीठासीन अधिकारी को छोड़कर यदि नाम निर्देशित अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो तो तब ऐसे प्रवर्गों के लिए समतुल्य संवर्ग का कोई अन्य अधिकारी पदोन्नति समिति में सम्मलित किया जाएगा और सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी.

(2) समिति का सम्मिलन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा.

(3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण किया जाएगा.

15. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.**—(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें सरकार ने उनके समतुल्य घोषित किया हो, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मौलिक रूप में) पूर्ण कर ली थी, जैसा कि अनुसूची चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों.

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1977 के उपबंध पदोन्नति के लिये विचारण क्षेत्र हेतु लागू होंगे.

16. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो ऊपर नियम-15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी.

(2) तृतीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर, द्वितीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर तथा द्वितीय श्रेणी के पद से प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिये व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मानदंड ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनियरिटी-सबजेक्ट-टू-फिटनेस) होगा और प्रथम श्रेणी के पद से प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिये मानदण्ड योग्यता-सह-ज्येष्ठता होगा.

(3) ऐसी चयन सूची तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों के नाम, अनुसूची-चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे:

परन्तु ऐसे पद पर, जिस पर योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की गई है, किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में असाधारण योग्यता तथा उपयुक्तता का हो, उससे ज्येष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण.—ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वत्तर चयन के तथ्य से उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

17. आयोग से परामर्श.—ऐसी विभागीय पदोन्नति समिति की, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की जाए, सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श की अपेक्षा के अनुपालन में की गई है और आयोग से पृथक परामर्श आवश्यक नहीं होगा.

18. चयन सूची.—सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पदों से अनुसूची-चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के पालन में, गंभीर चूक होने की दशा में चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन सरकार की प्रेरणा पर किया जा सकेगा और आयोग, यदि उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा.

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों.

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो, जिससे वह सरकार की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो.

20. परिवीक्षा.—सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षण पर नियुक्त किया जाएगा.

21. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा.

22. शिथलीकरण.—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

23. निरसन तथा व्यावृत्ति.—इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा, निरस्त किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उपसचिव.

(राजपत्रित)

अनुसूची-एक

(नियम-5 देखिए)

अनु. क्र. (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	टिप्पणियां (6)
1.	प्रमुख आवासीय आयुक्त (प्रोटोकाल)	01	प्रथम श्रेणी	22400—575—24500	
2.	विशेष आयुक्त (संपर्क एवं समन्वय)	01	प्रथम श्रेणी	22400—575—24500	
3.	अपर आयुक्त	01	प्रथम श्रेणी	18400—500—22400	
4.	उपायुक्त (प्रोटोकाल)	01	प्रथम श्रेणी	12000—375—16500	
5.	कार्यपालन यंत्री	01	प्रथम श्रेणी	10000—325—15200	लोक निर्माण विभाग से स्थानांतरण द्वारा
6.	सहायक शल्य चिकित्सक	01	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	लोक स्वास्थ्य विभाग से स्थानांतरण द्वारा
7.	सहायक यंत्री	01	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	लोक निर्माण विभाग से स्थानांतरण द्वारा
8.	मुख्यमंत्री जी के संपर्क अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	मुख्यमंत्री जी की स्थापना से.
9.	प्रोटोकाल अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	
10.	लेखाधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	
11.	हाउस मैनेजर	02	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	
12.	अनुभाग अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	6500—200—10500	

अनुसूची-दो

(नियम-6 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भरती द्वारा नियम 6(1)(क) देखिए	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम-6(1)(ख) देखिए	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा नियम-6(1)(ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आयुक्त (प्रोटोकाल)	1	–	–	100%
2.	विशेष आयुक्त (संपर्क एवं समन्वय)	1	–	–	100%
3.	अपर आयुक्त	1	–	100%	
4.	उपायुक्त प्रोटोकाल	1	–	100%	
5.	सहायक शल्य चिकित्सक	1	–	–	100%
6.	कार्यपालन यंत्री	1	–	–	100%
7.	सहायक यंत्री	1	–	–	100%
8.	लेखाधिकारी	1	–	100%	उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति स्थानांतर पर
9.	मुख्यमंत्री जी के संपर्क अधिकारी	1	–	–	100%
10.	प्रोटोकाल अधिकारी	1	–	100%	
11.	हाउस मैनेजर	2	50%	50%	–
12.	अनुभाग अधिकारी	1	–	100%	–

अनुसूची-तीन

सीधी भरती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

(नियम-8 देखिए)

विभाग का नाम (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित अर्हता (5)	अन्य मद (6)	टिप्पणियां (7)
	1. हाऊस मैनेजर	18	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक उपाधि तथा मान्यता प्राप्त संस्था से होटल मैनेजमेंट की उपाधि	-	-

अनुसूची-चार

(नियम-13 देखिए)

विभाग का नाम (1)	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति दी जाएगी (2)	उस पद का का नाम जिस पर पदोन्नति दी जाएगी (3)	पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा काला-वधि (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (5)	पदोन्नति की प्रक्रिया (6)	टिप्पणियां (7)
आयुक्त, प्रोटोकाल मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली.	उपायुक्त (प्रोटोकाल)	अपर आयुक्त	05 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत लोक सेवा आयोग का सदस्य—अध्यक्ष. 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग—सदस्य 3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली—सदस्य		
	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री	05 वर्ष	—उपरोक्तानुसार—		
	उप यंत्री	सहायक यंत्री	05 वर्ष	—उपरोक्तानुसार—		
	हाउस कीपर	हाउस मैनेजर	05 वर्ष	—उपरोक्तानुसार—		
	प्रोटोकाल अधिकारी	उपायुक्त प्रोटोकाल	05 वर्ष	—उपरोक्तानुसार—		
	अनुभाग अधिकारी	लेखाधिकारी	02 वर्ष	—उपरोक्तानुसार—		
	सहायक प्रोटोकाल अधिकारी	प्रोटोकाल अधि-कारी.	05 वर्ष	—उपरोक्तानुसार—		
	सहायक/लेखापाल/ संपर्क सहायक	अनुभाग अधिकारी	05 वर्ष	—उपरोक्तानुसार—		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2000

क्र. 16-29-1990-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-29-1990-1-4, दिनांक 28 जुलाई 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उपसचिव.